

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजना-तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2010—श्रावण 21, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्र. एफ. 22-37-10-आठ.—राज्य शासन, एतद्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का क्रमांक 59) की धारा 67(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-142-2008-आठ, दिनांक 25 अगस्त 2008 में आंशिक संशोधन करते हुये, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा समस्त क्षेत्रीय प्राधिकारों को प्रक्रम वाहनों का भाड़ा दिनांक 15 अगस्त 2010 से निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देता है :—

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य यात्री भाड़ा (नगर वाहनों को छोड़कर) :—

(1) सामान्य प्रक्रम वाहन — रुपये 5.00 प्रति यात्री प्रथम 5 किलोमीटर तक के लिये तत्पश्चात् रुपये 0.65 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये.

(2) उपरोक्त निर्देश 1 के अधीन यात्री भाड़ा में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी :—

(क) रात्रि बस सेवा के लिये — सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक

(ख) एक्सप्रेस बसों के लिये — सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 20 प्रतिशत अधिक

No. F. 22-37-10-VIII.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 67 the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) sub-section (1) therein and in partial modification of the Department's Notification No. F-22-142-2008-VIII, dated 25th August 2008 the

State Government hereby issues the following directions to the State Transport Authority and all Regional Transport Authorities regarding fixing of fare of State carriages from 15th of August, 2010.

DIRECTIONS

Fare Chargeable by State carriages (Excluding City Bus) :—

- (1) General State carriages — Rs. 5.00 per passenger up to 5 K.M. and thereafter Rs. 0.65 per passenger per K.M. or part thereof.
- (2) Fares calculated as per instruction I above will be increased as follows :—
 - (a) Night Bus Service — 10% more than the fare of general State carriages
 - (b) Express Bus — 20% more than the fare of general State carriages.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.